

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसं/जोध/11/ 6920  
निमित्त:

दिनांक 02/11/21

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)  
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान

विषय: कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली रोड़ सम्पर्क सड़क हेतु 0.3291 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (FP/RJ/16088/2015) के संबंध में।

संदर्भ:- श्रीमान के कार्यालय का संदर्भ एफ 14(62/9)2018/एफसीए/प्रमुवस/1800 दिनांक 15-7-21 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 8707 दिनांक 29-10-21

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उप वन संरक्षक, जोधपुर ने संदर्भित पत्र के द्वारा आलौच्य प्रकरण में अंकित आक्षेपों की बिन्दुवार अनुपालना प्रेषित की है, जो निम्नानुसार है :-

बिन्दु संख्या	ईडीएस	अनुपालना
1	For diversion of land 0.3291 ha., CA amount charged rs. 15.48lacs which is not justified. 100 plants scheme is applicable in the proposal.	नवीनतम मजदूरी दर अनुसार संशोधित प्राक्कलन राशि रु 5.12 लाख का तैयार करवाकर मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा अनुमोदित कर संलग्न है।
2	Forest block boundary given in the KML does not match with the boundary uploaded in departmental KML.	प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 288 दिनांक 12-10-2021 (प्रति संलग्न) अनुसार प्रस्ताव में दिखाई गई वनसीमा मौके पर वनखण्ड की सीमा पर निर्मित पक्की दीवार के अनुसार केएमएल तैयार की गई है।
3	There are two other roads passing through the same forest block. Please clarify whether these are diverted or not under FC Act 1980.	वनखण्ड में से गुजरने वाली अन्य दो सड़क हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तित नहीं है।
4	Upload and attach the proposed area on Khasra map.	खसरा मैप संलग्न है।

संलग्न प्रस्ताव 2 प्रति में

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसं/जोध/11/  
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।  
प्रतिलिपि सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सूचनार्थ।

दिनांक

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर

## कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकसर्वेल फोन न. 0291-2636753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ (593)एफ.सी.ए/उवसं/2021-22/8107

दिनांक: 29-10-21

निमित्त:- संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
जोधपुर

विषय : प्रस्तावित रोड़ कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली सम्पर्क रोड़ हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं. FP/RJ/16088/2015, क्षेत्रफल 0.3291 के संबंध में।

संदर्भ : कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 (62/9) 2018/एफ.सी.ए/प्रमुवसं/1800 दिनांक 15.07.2021, कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर का पत्र क्रमांक 3714 दिनांक 19.07.2021, इस कार्यालय पत्र क्रमांक एफ (593)एफ.सी.ए/उवसं/2021-22/6185 दिनांक 02.08.2021, कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का पत्रांक जो.वि.प्रा./2021-22/288 दिनांक 12.10.2021 एवं ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड दिनांक 21.10.2021 के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 (62/9) 2018/एफ.सी.ए/प्रमुवसं/1800 दिनांक 15.07.2021 द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति करके पुनः प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की 3 कॉपी में निम्नलिखित संशोधित दस्तावेजों को संलग्न कर आपके अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

क्रम सं०	आक्षेप	पूर्ति हेतु संशोधन कार्यवाही
1.	प्रस्ताव में 0.3291 हैक्टर के लिये 2 हैक्टर सी.ए. डी.एफ.एल. हेतु राशि रू 15.48 लाख का प्रकलन जो अवाह्यारिक है।	वर्ष 2021 की संशोधित दर से इस कार्यालय द्वारा 5.12 लाख कर पालना दी गई है। 96 वृक्षों के पातन का दस गुणा 960 नग क्षतिपूर्ति पौधारोपाण का विस्तृत प्राकलन संलग्न।
2.	प्रस्ताव को गूगल अर्थ पर देखने पर स्पष्ट होता है कि यूजर ऐजेंसी द्वारा बताई वन सीमा सही वन सीमा नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक जो.वि.प्रा./2021-22/288 दिनांक 12.10.2021 संलग्न है।
3.	उक्त वन क्षेत्र में से दो ओर सड़को को मुख्य सड़क से जोड़ रही है। क्या अ सड़क मार्ग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत कर ली गई है।	हाँ, दो ओर सड़को को मुख्य सड़क से जोड़ रही है। उक्त सड़क वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तित नहीं है।

अतः पुनः संशोधित प्रत्यावर्तन प्रस्ताव फाईल फोल्डर 3 प्रतियों में हार्ड कॉपी के साथ अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न : 3 सेट प्रस्ताव फाईल फोल्डर।

भवदीय

(रमेश कुमार मालपानी)

उप वन संरक्षक

जोधपुर

दिनांक:

क्रमांक:सम

प्रतिलिपि: सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक  
जोधपुर